



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218993
CG-DL-E-01042020-218993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1100]
No. 1100]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

विषय : “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ) आदेश, 2012 की अनुसूची में उत्पाद श्रेणियों का परिवर्धन।

का.आ.1236(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो, 1987, के नियम 13 के खंड (एफए) के अनुसरण में केंद्र सरकार “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएँ) आदेश 2012,” की अनुसूची में निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करती हैं अर्थात्:

क्रमांक	उत्पाद श्रेणी	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए अकेले चल सकने योग्य एलईडी मॉड्यूल	भा० मा० 16103: भाग 1: 2012	सामान्य प्रकाश के लिए एलईडी मॉड्यूल भाग १ सुरक्षा आवश्यकताएँ
46.	प्रकाश श्रृंखला (रोप लाइट्स)	भा० मा० 10322: भाग 5 खंड 9 : 2017	प्रकाश उपकरण: भाग 5 विशेष आवश्यकताएं खंड 9 रस्सी लाइट्स

47.	कीबोर्ड	भा०मा०13252: भाग 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
48.	प्रेरण चूल्हा (इन्डक्शन स्टोव)	भा० मा० 302: भाग 2: खंड 6: 2009	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा: भाग 2 विशेष आवश्यकताएं, खंड 6 खाना पकाने की रेंज, हॉब्स, भट्टी और इसी तरह के उपकरण
49.	स्वचालित गणकनकद वितरण मशीन	भा० मा० 13252 खंड 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
50.	यूएसबी० प्रकार के बाह्य हार्ड डिस्क ड्राइव	भा० मा० 13252 खंड 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
51.	तार रहित हेडफोन और ईयरफोन	भा० मा० 616: 2017	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं
52.	यूएसबी प्रकार के बाह्य ठोस अवस्था वाले संग्रहण उपकरण (256 जीबी क्षमता से ऊपर)	भा० मा० 13252 खंड 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
53.	200 वाट से नीचे की इनपुट शक्ति के साथ इलेक्ट्रॉनिक संगीत प्रणाली (म्यूज़िकल सिस्टम)	भा० मा० 616 : 2017	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं
54.	अकेले चल सकने योग्य बदलते प्रकार (स्विच मोड) निर्गत वोल्टेज 48 V (अधिकतम) के विद्युत आपूर्ति के उपकरण (एस एमपीएस)	भा० मा० 13252 खंड 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
55.	प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी टीवी के अलावा अन्य टेलीविजन	भा० मा० 616 : 2017	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं
56.	चावल पकाने का उपकरण (राइस कूकर)	भा० मा० 302: भाग 2: खंड 15: 2009	घरेलू और इसी तरह के बिजली के उपकरणों की सुरक्षा: भाग 2 विशेष आवश्यकताएं : खंड 15 तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए उपकरण

2. चूंकि बहुक्रिया उपकरण (एमएफडी) मूल रूप से फ़ैक्स, स्कैन, फोटोकॉपी आदि जैसे अतिरिक्त क्षमताओं के साथ मुद्रक हैं, इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये मुद्रक/आलेखक की श्रेणी के तहत शामिल किए गए हैं जो 3 अक्टूबर 2012 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। उपरोक्त दिनांक 03.10.2012 के राजपत्र अधिसूचना के अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू होंगे।

3. उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में इस आदेश के माध्यम से शामिल उत्पाद श्रेणियों पर "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश 2012," के प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे।

4. "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" के तहत अधिसूचित सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए, विदेशी विनिर्माण इकाई के भारत में स्थित सम्बद्ध कार्यालय या शाखा कार्यालय के प्रतिनिधि को ब्यूरो से अद्वितीय पंजीकरण संख्या रखने वाले माल पर बंदरगाह पर मानक चिन्ह लगाने

का प्रावधान उस विशेष उत्पाद श्रेणी के लिए आदेश के प्रभाव में आने की तारीख से तीन महीने (अधिकतम) का संक्रमण अवधि सीमा शुल्क से माल की निकासी के लिए उपलब्ध होगा।

5. अनुसूची में उल्लिखित सभी वस्तुओं के लिए, समय-समय पर भा. मा. ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित नवीनतम मानक, भ. मा. ब्यूरो द्वारा ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे। ऐसे समय तक पहले से पंजीकृत सामानों के लिए, निगरानी परीक्षण जब कभी भी किया जाएगा, नवीनतम मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, पंजीकरण का नवीनीकरण पंजीकरण चक्र की वैधता की समाप्ति पर अनिवार्य पंजीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार नवीनतम मानकों के अनुसार किया जाएगा।

[फा.सं. डब्ल्यू-47/6/2019-आई.पी.एच.डब्ल्यू.-ई.एवं सू.प्रौ. मं.]

आशा नांगीया, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी : प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का. आ. संख्या 2357 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 को का. आ. संख्या 2034(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013, का. आ. संख्या 3022 (अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014, के का. आ. संख्या 2905(अ), के का. आ. संख्या 345(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का. आ. संख्या 638(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. संख्या 3509 (अ), दिनांक 23 अगस्त 2017 के का. आ. संख्या 2403(अ) तथा दिनांक 5 मार्च, 2018 के का. आ. संख्या 1321(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

Subject: Addition of product categories to the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012.

S.O. 1236(E).—In exercise of the power conferred by clause 10 (1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby includes the following products to the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012, namely”: -

Sl. No	Product Category	Indian Standard Number	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	Standalone LED Modules for General Lighting	IS 16103: Part 1: 2012	LED modules for general lighting: Part 1 safety requirements
46.	Lighting Chain (Rope Lights)	IS 10322: Part 5 Section 9: 2017	Luminaries: Part 5 Particular Requirements Section 9 Rope Lights
47.	Keyboard	IS 13252: Part 1 :2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
48.	Induction Stove	IS 302: Part 2: Section 6: 2009	Safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements, section 6 cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
49.	Automatic Teller Cash dispensing machines	IS 13252 Part 1 :2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
50.	USB Type External Hard Disk Drive	IS 13252 Part 1 :2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements

51.	Wireless Headphone and Earphone	IS 616: 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
52.	USB Type External Solid-State Storage Devices (above 256 GB capacity)	IS 13252 Part 1 :2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
53.	Electronic Musical System with input power below 200 Watts	IS 616: 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
54.	Standalone Switch Mode Power Supplies (SMPS) with output voltage 48 V (max)	IS 13252 Part 1 :2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
55.	Television other than Plasma/ LCD/LED TVs	IS 616: 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
56.	Rice Cooker	IS 302: Part 2: Section 15: 2009	safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements: section 15 appliances for heating liquids

2. Since the Multifunction Devices (MFDs) are basically printers with additional capabilities like Fax, Scan, Photocopy etc., thus, it is clarified that they are covered under the category of Printers/Plotters notified vide Gazette Notification dated 3rd October 2012. The other provisions of the aforesaid Gazette notification dated 3rd October 2012 would apply as before.

3. The provisions of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" shall apply on the product categories added by virtue of this Order to the schedule of the said Order on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

4. For all the product categories notified under the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012", a transition period of three months (max), from the date of coming into effect of the Order for the particular product category, would be available to the representative of the foreign manufacturing unit having liaison office or branch office located in India for affixing Standard Mark at the ports which are already having unique registration number from the Bureau for clearance of goods from customs.

5. For all the product categories mentioned in the Schedule, the latest standards as published & notified by BIS from time to time would apply on expiry of six months from the date of notification of such standards by BIS. For goods already registered till such time, the surveillance testing as and when carried would be as per the latest standards. Further, renewal of registration would be done to the latest standards as per the provisions of the Compulsory Registration Scheme on expiry of validity of registration cycle.

[F. No. W-47/6/2019-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022 (E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. No. 2030 (E) dated 21st September, 2015 S.O. 345 (E) dated 3rd February, 2016, S.O 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016, S.O. No. 2403 (E) dated 23rd August, 2017 and S.O. 1321(E) dated 5th March, 2018.